

# नेपाल राजपत्र

## भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, कात्तिक ३० गते २०३३ साल

### श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना

जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ को दफा ७ को उप-दफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले महिला प्रशिक्षण केन्द्र पोखराको भवन निर्माण गर्नको लागि गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला, बाटुले चौर गा.पं.वार्ड नं. १ मा पर्ने निम्नलिखित जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले जग्गाको मोल र अरु नोकसानी बापत यस ऐन र जग्गा प्राप्त नियमहरू, २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

पूर्व कालीखोलाको डिल, भीर, कि. नं. ३७७, पश्चिम महेन्द्र-गुका जाने सडक कि.नं. ६३, उत्तर कि.नं. १४६, बाबुकाजी गुभाजु र कि.नं. १५० बनसुवा गुरुङस्थानीको बाँकी जग्गा, दक्षिण कि. नं. १८० आइतसिङ तामाङ र कि. नं. १७६ दीपबहादुर खत्रीको बाँकी जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको कि. नं. १५१ को दा.०।३।० पूरै, कि. नं. १५२ को दा.०।०।१

१५१ (७)  
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

नेपाल राजपत्र भाग ३

आज्ञाते-

श्री ५ को सरकारको सचिव

विद्यया विमुक्तये

॥ १ ॥  
 ॥ २ ॥  
 ॥ ३ ॥  
 ॥ ४ ॥  
 ॥ ५ ॥  
 ॥ ६ ॥  
 ॥ ७ ॥  
 ॥ ८ ॥  
 ॥ ९ ॥  
 ॥ १० ॥  
 ॥ ११ ॥  
 ॥ १२ ॥  
 ॥ १३ ॥  
 ॥ १४ ॥  
 ॥ १५ ॥  
 ॥ १६ ॥  
 ॥ १७ ॥  
 ॥ १८ ॥  
 ॥ १९ ॥  
 ॥ २० ॥  
 ॥ २१ ॥  
 ॥ २२ ॥  
 ॥ २३ ॥  
 ॥ २४ ॥  
 ॥ २५ ॥  
 ॥ २६ ॥  
 ॥ २७ ॥  
 ॥ २८ ॥  
 ॥ २९ ॥  
 ॥ ३० ॥  
 ॥ ३१ ॥  
 ॥ ३२ ॥  
 ॥ ३३ ॥  
 ॥ ३४ ॥  
 ॥ ३५ ॥  
 ॥ ३६ ॥  
 ॥ ३७ ॥  
 ॥ ३८ ॥  
 ॥ ३९ ॥  
 ॥ ४० ॥  
 ॥ ४१ ॥  
 ॥ ४२ ॥  
 ॥ ४३ ॥  
 ॥ ४४ ॥  
 ॥ ४५ ॥  
 ॥ ४६ ॥  
 ॥ ४७ ॥  
 ॥ ४८ ॥  
 ॥ ४९ ॥  
 ॥ ५० ॥  
 ॥ ५१ ॥  
 ॥ ५२ ॥  
 ॥ ५३ ॥  
 ॥ ५४ ॥  
 ॥ ५५ ॥  
 ॥ ५६ ॥  
 ॥ ५७ ॥  
 ॥ ५८ ॥  
 ॥ ५९ ॥  
 ॥ ६० ॥  
 ॥ ६१ ॥  
 ॥ ६२ ॥  
 ॥ ६३ ॥  
 ॥ ६४ ॥  
 ॥ ६५ ॥  
 ॥ ६६ ॥  
 ॥ ६७ ॥  
 ॥ ६८ ॥  
 ॥ ६९ ॥  
 ॥ ७० ॥  
 ॥ ७१ ॥  
 ॥ ७२ ॥  
 ॥ ७३ ॥  
 ॥ ७४ ॥  
 ॥ ७५ ॥  
 ॥ ७६ ॥  
 ॥ ७७ ॥  
 ॥ ७८ ॥  
 ॥ ७९ ॥  
 ॥ ८० ॥  
 ॥ ८१ ॥  
 ॥ ८२ ॥  
 ॥ ८३ ॥  
 ॥ ८४ ॥  
 ॥ ८५ ॥  
 ॥ ८६ ॥  
 ॥ ८७ ॥  
 ॥ ८८ ॥  
 ॥ ८९ ॥  
 ॥ ९० ॥  
 ॥ ९१ ॥  
 ॥ ९२ ॥  
 ॥ ९३ ॥  
 ॥ ९४ ॥  
 ॥ ९५ ॥  
 ॥ ९६ ॥  
 ॥ ९७ ॥  
 ॥ ९८ ॥  
 ॥ ९९ ॥  
 ॥ १०० ॥

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।